5 उपपंजीयक, (तृतीय) बीकानेर।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः—

1 श्री कमल नारायण पुरोहित (प्रार्थी की ओर से)

2 श्री राधाकिशन स्वामी (अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से)

—:निर्णयः—

दिनांकः— 0५

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व उ

सहहिस्सेदारान के नाम की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके च

बीएसएम, पटवार हल्का उदासर, बीकानेर के मुरबा नंबर 177/

177/22, 177/29, 177/30, 177/37, 177/38, 177/45 में

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है व लगातार काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि, प्रार्थी व उसके सहहिस्सेदारान की उक्त बाबत भूमि के पड़ोस में स्थित मुरब्बों की भूमि में स्थित है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खेत पड़ोसी है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि प्रार्थी के मालिकाना व काबिजाना हक की भूमि से मिलते होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2, प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 25.04.2025 को प्रार्थी की भूमि पर आकर अवैध कब्जा करने संबंधी धमकी दी गयी व प्रार्थी को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर, कब्जा कर भूमि किसी अन्य को रहन बैय विक्रय कर देंगे। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को मुतनाजा भूमि के कब्जे से बेदखल कर आगे बैय विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को ना पूर्ति होने वाला नुकसान होगा। लिहाजा प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार फरमायी जावे कि से प्रार्थी व उसके सहहिस्सेदारान के नाम की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 9 बीएसएम, पटवार हल्का उदासर, बीकानेर के मुरब्बा नंबर 177/21, 177/22, 177/29, 177/30,

कमाण्ड/अकमाण्ड भूमि में प्रार्थी अपने हक व हिस्से में काबिज है, उसे बेदखल न किया जावे, न ही रहन बैय विक्रय करे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर चक 9 बीएसएम, पटवार हल्का उदासर, बीकानेर के मुरबा नंबर 177/21, 177/22, 177/29, 177/30, 177/37, 177/38, 177/45 में कुल तादादी 20.0297 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के 73/3168 हिस्से पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति नियत रखने बाबत न्यायालय द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री राधाकिशन स्वामी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त वादगत भूमि में अपने सह–हिस्सेदारान के साथ संयुक्त खातेदारी में स्वयं का 73/3168 हिस्सा बताया है जबकि गांव–चक के मुरब्बा में कौन से किले है, उनका अंकन नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण चक 9 बीएसएम, बीकानेर के खाता संख्या 53 के मुरबा नंबर 177/30 के किला नंबर 19/2, 20/2, 21/2, 22/4 की तादादी 0.4805 हैक्टयर कमाण्ड हैक्टयर भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार से बाद खरीद से ही पूर्णत प्रतिफल अदा कर कब्जा प्राप्त करके काबिज काश्त है उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है और उनकी खरीदशुदा भूमि से ना तो बेदखल किया जा सकता है और ना ही उनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की

जा सकती है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की भूमि से भिन्न है, प्रार्थी ने मात्र केवल अपने मुरब्बे नंबर लिख कर अप्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने व विक्रय करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण अपने खाते की भूमि के खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के हक में है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जावे।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण श्री कमल नारायण पुरोहित द्वारा कथन किया गया कि उक्त वादगत भूमि में प्रार्थी का संयुक्त रूप से 73/3168 हिस्सा है, इसी अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चारदिवारी बनी हुई है, वादगत भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है व लगातार काश्त करता आ रहा है। स्वयं अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि अलग–अलग है, तो श्रीमान जी इस प्रकार अप्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की खातेदारी कृषि भूमि, प्रार्थी व उसके सहहिस्सेदारान की उक्त वादगत भूमि के पड़ोस में स्थित मुरबों की भूमि में स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई लेना–देना नहीं है। अतः श्रीमान जी वादपत्र के निस्तारण तक जारी अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत कायम की जावे।

सहायक कलक्टर

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री राधाकिशन स्वामी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की चक 9 बीएसएम, बीकानेर के खाता संख्या 53 के मुरबा नंबर 177/30 के किला नंबर 19/2, 20/2, 21/2, 22/4 की तादादी 0.4805 हैक्टयर कमाण्ड हैक्टयर खरीदशुदा रही है। अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है, उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादगत भूमि के मुरब्बा नंबर 177/30 के दो खाते रहे हैं, जिसमें एक खाते में प्रार्थी खातेदार है तथा अन्य में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की भूमि से भिन्न है, प्रार्थी द्वारा मात्र केवल वादगत भूमि के मुरब्बे लिखकर, अप्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर अप्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने, विक्रय करने तथा सीमाज्ञान की कार्यवाही में रूकावट डालने के उद्देश्य से यह अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने कब्जे काश्त की भूमि पर गैर–कृषि निर्माण कार्य किये जा रहे है तथा सरकार की ओर से गैर–कृषि प्रयोजनार्थ कार्य बाबत की जाने वाली कार्यवाही से बचने के लिए उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा ली गयी है। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के अंत में निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण अपने खाते की भूमि के खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के हक में है। अपनी बहस के समर्थन में निम्न दृष्टांत 2021 (1)DNJ (Rev.) Page 113, 2015 (1)RRT PAGE 633 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। [illegible] किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संदर्भ में तीन बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए व प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा वाके चक 9 बीएसएम, पटवार हल्का उदासर, बीकानेर के मुरबा नंबर 177/21, 177/22, 177/29, 177/30, 177/37, 177/38, 177/45 कुल तादादी 20.0297 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के संयुक्त अविभाजित 73/3168 हिस्से बाबत अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वाके चक 9 बीएसएम, पटवार हल्का उदासर, बीकानेर के मुरब्बा नंबर 177/21, 177/22, 177/29, 177/30, 177/37, 177/38, 177/45 कुल तादादी 20.0297 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के संयुक्त अविभाजित 73/3168 हिस्से पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी।

पत्रावली के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखिय स्थिति यह है कि चक 9 बीएसएम, बीकानेर के मुरबा नंबर 177/30 के दो खाते रहे है जिसमें खाता संख्या 52 के मुरब्बा नंबर 177/30 के किला नंबर 1/2, 2 ता 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13 ता

[illegible]
[illegible]यक कलक्टर
[illegible]कानेर शहर

18, 22/3, 23/3, 24/2 कुल किता 21 तादादी 3.3890 कमाण्ड,
0.9104 अनकमाण्ड भूमि में प्रार्थी 73/3168 हिस्सा के संयुक्त रिकॉर्ड
खातेदार अंकित है जबकि इसी मुरब्बा नंबर 177/30 के खाता संख्या
53 में किला नंबर 19/2, 20/2, 21/2, 22/4 की तादादी 0.4805
हैक्टयर कमाण्ड भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त रिकॉर्डेड
खातेदार अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 9
बीएसएम, बीकानेर के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नंबर 177/30 के
किला नंबर 1/2, 2 ता 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13 ता 18,
22/3, 23/3, 24/2 कुल किता 21 तादादी 3.3890 कमाण्ड,
0.9104 अनकमाण्ड भूमि में प्रार्थी 73/3168 हिस्सा के संयुक्त रिकॉर्डेड
खातेदार होने से, प्रार्थी के 73/3168 हिस्सा की हद तक प्रथम दृष्ट्या
मामला व सुविधा का संतुलन के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं।
प्रार्थी अपनी कब्जे काश्त, अपने हिस्से की भूमि के खातेदार अभिधारी
है, इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रार्थी को उसके
कब्जा–काश्त, हिस्से की खातेदारी से हटाए जाने की दशा में प्रार्थी
को अपूरणीय क्षति कारित होना भी साबित होता है, परंतु हम अप्रार्थी
संख्या 1 व 2 के इस तर्क से भी सहमत है कि उक्त वादगत भूमि पर
अस्थायी निषेधाज्ञा होने के कारण सीमाज्ञान, पत्थरगढी, राजस्थान
काश्तकारी व भू–अभिलेख कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप बेदखली,
कुर्की तथा गैर–कृषि प्रयोजनार्थ कार्य किए जाने की स्थिति में राज्य
सरकार की ओर से खातेदारी समाप्ति की कार्यवाही को रोका जाना
भी न्यायोचित नहीं है।

आगे: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र के निस्तारण तक इस आशय कायम की जाती है कि वाके चक 9 डीएसएम, बीकानेर के खाता संख्या 52 के मुरब्बा नंबर 177/30 के किला नंबर 1/2, 2 ता 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13 ता 18, 22/3, 23/3, 24/2 कुल किता 21 तादादी 3.3890 कमाण्ड, 0.9104 अनकमाण्ड भूमि में प्रार्थी 73/3168 हिस्से की खातेदारी भूमि में अप्रार्थी पक्ष बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दखलअंदाजी नहीं करे तथा खाता संख्या 52 के मुरब्बा नंबर 177/30 के किला नंबर 1/2, 2 ता 8, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13 ता 18, 22/3, 23/3, 24/2 कुल किता 21 तादादी 3.3890 कमाण्ड, 0.9104 अनकमाण्ड भूमि में प्रार्थी 73/3168 हिस्से की खातेदारी भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति वादपत्र के निस्तारण तक बनाए रखे।

यह निषेधाज्ञा सीमाज्ञान, पत्थरगढी, राजस्थान काश्तकारी व भू–अभिलेख कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप बेदखली, कुर्की तथा गैर–कृषि प्रयोजनार्थ कार्य किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार की ओर से खातेदारी समाप्ति की कार्यवाही या अन्य विधिक कार्यवाही पर अप्रभावी रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)
आरएएस
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर